

राजस्थान सरकार  
कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग सीकर

( Email id : ddcids.sikar@gmail.com , दूरभाष नम्बर : 01572 250016)

क्रमांक : 2841

दिनांक : 27-6-23

विज्ञप्ति संख्या-01

जिले की अधीनस्थ परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु संबंधित परियोजना कार्यालयों में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र. सं.	परियोजना कार्यालय का नाम एवं ई-मेल आईडी	रिक्त पदों का विवरण मय आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	
		आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता /शिशुपालना गृह कार्यकर्ता	सहायिका
1.	दांतारामगढ़ cdpodtr@gmail.com	खाटू-2 नगरपालिका खाटू (अनुसूचित जाति)	दांता-3(अनुसूचित जाति), लोसल-15, चिड़ासरा-1, बनाथला
2.	धोद cdpodhod@gmail.com	पालवास-2, धोद-2	श्यामपुरा-1, हमीरपुरा, चूड़ोली
3.	फतेहपुर cdporuralfatehpur@gmail.com	हरसावा-ए	रामसीसर-बी, वार्ड नं. 11 फतेहपुर शहर, गोड़िया बड़ा, तिहावली-सी
4.	खण्डेला asocdpokdl@gmail.com	फतेहपुरा-1	रलावता-1, चौकड़ी-4, भादवाड़ी, कावंट-4, बरसिंहपुरा-2, बरकड़ा, हरदास का बास-1
5.	लक्ष्मणगढ़ cdpolachhmangarhsikar@gmail.com	बगड़ी-2, बलारा-बी, भैरुपुरा	खातीपुरा, लक्ष्मणगढ़ वार्ड नं.7
6.	नीमकाथाना cdponkt1991@gmail.com	डाबला-ए (अनुसूचित जनजाति), भूदोली-एफ (अनुसूचित जनजाति), पाटन-ए, महावा-सी, नापावाली, सिरोही-सी	हसामपुर-ए, भोगगा आरएस (अनुसूचित जाति), जुगलपुरा, पुरानाबास-बी, गुहाला-जी
7.	पिपराली cdpopiprali0@gmail.com	रामचन्द्र वाली जोहड़ी तारपुरा 145	मलकेड़ा 29 (अनुसूचित जाति), बगड़ियों की ढाणी, ईशरों की ढाणी शिशु 121, चारण का बास 16
8.	सीकर शहर cdposikarcity@gmail.com	5-1(वार्ड नया-15), 43-2 (वार्ड नया-60)	1-1 (वार्ड नया 2), 6-3 (वार्ड नया-15)
9.	श्रीमाधोपुर cdpo.srimadhapur2000@gmail.com	-	रा0बा0प्रा0स्कूल अजीतगढ़, केरली जोहड़ा (कोटड़ी धायलान), आसपुरा डी, पृथ्वीपुरा ए (बागरियावास)

1. ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है, महिला उस राजस्व ग्राम/वार्ड की स्थानीय निवासी एवं विवाहित होना आवश्यक है।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता तथा सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम बारहवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
3. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका हेतु आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी एवं विशेष योग्यजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता के प्रकरण में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक की होगी।
4. आवेदन फॉर्म संबंधित परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत या विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं।
5. आंगनबाड़ी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी।



6. विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र व पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा।
7. तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम न्यायालय से जारी आदेश/डिक्री की छायाप्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जाये।
8. यदि किसी आवेदक के दस्तावेज जांच के दौरान जाली/फर्जी/कूटरचित पाया जाता है तो ऐसे आवेदक का आवेदन पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जायेगा तथा ऐसा आवेदक भविष्य में भी मानदेयकर्मी हेतु चयन का पात्र नहीं होगा।
9. योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः/ई-मित्र/ई-मेल अथवा अन्य माध्यम द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 30 दिवस अथवा दिनांक 27.07.2023 तक सायं 05:00 बजे तक जमा कराया जा सकता है।
10. आवेदन पत्र के साथ विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 में वर्णित दस्तावेज यथा (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्र, बी.एड. (2) सैकेण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र, (3) मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड/जन आधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र/ग्राम विकास अधिकारी/सरपंच के द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई भी दो दस्तावेज (4) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के लिए (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार क्रीमी-लेयर/नॉन क्रीमी-लेयर के संबंध में नियमानुसार लागू होंगे)/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र (सक्षम न्यायालय द्वारा जारी हो)/ज्योति योजना लाभार्थी होने का प्रमाण पत्र (5) कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) (6) बी.पी.एल. कार्ड (केन्द्र सूची अनुसार) (यदि लागू हो) (7) ए.एन.एम/जी.एन.एम/आयुर्वेद नर्सिंग/RS-CIT/PGDCA का प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र (8) NFSA में सम्मिलित/अन्त्योदय इत्यादि अन्य जो भी दस्तावेज हो, की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न किये जावे तथा आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में संलग्न दस्तावेजों का अंकन किया जावे। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 एवं समय-समय पर जारी आदेश के अनुसार अंकभार निर्धारित कर वरियता सूची से चयन से जावेगा।
11. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य है।
12. जिन केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है, को उन केन्द्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जाएगा।
13. इस संबंध में विस्तृत जानकारी उप निदेशक कार्यालय/संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट [www.wcd.rajasthan.gov.in](http://www.wcd.rajasthan.gov.in) से प्राप्त की जा सकती है।

  
उपनिदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग

सीकर

दिनांक : 27-6-23

क्रमांक :

2842-60

प्रतिलिपि :- निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. श्रीमान निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान-जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, सीकर।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सीकर।
4. श्रीमान ACP निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान-जयपुर को भेजकर निवेदन है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवावे।
5. विकास अधिकारी पं. समिति दांतारामगढ़/धोद/फतेहपुर/खण्डेला/लक्ष्मणगढ़/नीमकाथाना/पिपराली/श्रीमाधोपुर।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगरपरिषद/नगरपालिका, सीकर/फतेहपुर/रामगढ़ शेखावाटी।
7. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त, जिला सीकर।
8. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सीकर।

  
उपनिदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग

सीकर